**सं. 1-1/2011-आईएफडी**
**भारत सरकार**
**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड**
**नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2012**

**कार्यालय -ज्ञापन**

**विषय:- xi से xii योजना तक चालू स्कीमों को जारी रखने से संबंधित अनुदेश ।**

मुझे वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/पीएफ-II, दिनांक 14.12.2011 और 23.4.2012 (सुलभ संदर्भ के लिए प्रतियां संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिनमें 11वीं से 12वीं योजना तक चालू स्कीमों को जारी रखने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । इस संबंध में, इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र सं. दिनांक 14.5.2012 का भी हवाला दिया जाता है जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों को दोहराते हुए विभिन्न प्रभागों से 31.12.2012 तक चालू स्कीमों के मूल्यांकन/आकलन की प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध किया गया था ताकि स्कीम को 12वीं योजना में जारी रखा जा सके ।

यह देखा गया है कि अधिकांश स्कीमों के मूल्यांकन/ आकलन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है । चूंकि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार चालू स्कीमों का मूल्यांकन/ आकलन 31.12.2012 तक पूरा किया जाना है;अत: कार्यक्रम प्रभागों से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है ।

यह अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(हरि हर मिश्रा)
निदेशक (वित्त)

**सेवा में**

1) **सभी प्रभागाध्यक्ष**

2) **वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार को यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मूल्यांकन/आकलन की स्थिति का पता लगाने के बाद ही चालू स्कीम के लिए अगले वित्त वर्ष में बजट आबंटन पर विचार किया जाए । वित्त सलाहकार को आवधिक रूप से स्थिति से अवगत कराया जाए ।**